भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2594

मंगलवार, 05 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

धनबाद और बोकारो में औद्योगिक गलियारा

2594. श्री दुलू महतोः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को धनबाद और बोकारो में औद्योगिक गलियारों के निर्माण के संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त दोनों जिलों में औद्योगिक गलियारों के निर्माण के लिए केंद्रीय स्तर पर अनुमोदन प्रदान करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु धनबाद और बोकारो में औद्योगिक अवसंरचना में सुधार करने का विचार है ताकि इन क्षेत्रों की पूर्ण औद्योगिक क्षमता का उपयोग किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उक्त जिलों में औद्योगिक गलियारों के निर्माण की संभावनाओं का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कर रही है या कोई रिपोर्ट तैयार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से गठित विशेष प्रयोजन माध्यमों के द्वारा औद्योगिक टाउनशिप का विकास कार्य प्रारंभ किया है। परियोजना विकास कार्यकलापों में राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुसार औद्योगिक नोड्स की पहचान, तत्पश्चात परियोजना

को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने से पहले राज्य सरकार द्वारा संकल्पना मास्टर प्लान और विकास योजना, पर्यावरणीय मंजूरी और विस्तृत डिजाइन योजना तैयार करना और उसका अनुमोदन करना शामिल है। राज्य सरकार का योगदान भूखंड के रूप में और भारत सरकार का योगदान इक्विटी और/अथवा ऋण के रूप में होता है। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के भाग के रूप में, झारखंड राज्य में औद्योगिक नोड्स के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से भूमि की उपलब्धता की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है।

******